पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 1117 /अका./२००३ — रायपुर,दिनांक 10.7.03

कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 10.7.2003 को 4.00 बजे कुलसचिव कक्ष में आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थिति थें-

1	प्रोफेसर बी.पी.चन्द्रा,कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा	सदस्य
3	प्रोफेसर एम.एल.नायक	सदस्य
4	प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा	सदस्य
5	डा.युगल भारती	सदस्य
6	डा अमीर चंद जैन	सदस्य
7	डा.शैलेन्द्र सराफ	सदस्य
8	डा.श्रीमती स्नेहलता मित्तल	सदस्य
9	श्री.एस.पी.त्रिवेदी	सदस्य
10	डा श्रीमती गीता तिवारी	सदस्य
11	श्री ए.मिन्ज, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त-

विषय क्रमांक 1 वि.वि.कर्मियों को लंबित पदोन्नति प्रकरण का त्वरित निराकरण कर नियमानुसार पदोन्नति आदेश जारी किया जाय ।

निर्णय — प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । माननीय शिक्षा मंत्री के मंशा के अनुरुप प्रकरण के निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग को विचारार्थ भेजा जावे ।

विषय क्रमांक 2 वि.वि.कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया जाय ।

निर्णय — सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पिछले कार्यपरिषद में व्यक्तिगत ऋण से संबंधित निर्णय **समन्वय समिति में अनुमोदनार्थ भेजा जाय** को विलोपित की जाए।

विषय क्रमांक 3 स्वश्री एन.पी.पटेल एवं स्व.श्रीमती दुलारी बाई के पुत्र/पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाय ।

निर्णय — सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से अनुकंपा नियुक्ति संबंधी नवीन आदेश प्राप्त होते ही शीघ्र कार्यवाई की जाए।

विषय क्रमांक 4 कर्मचारियों के अर्जित/भैषजिक अवकाश के स्थान पर स्वीकृत अवैतनिक अवकाश को वापस लेते हुए अर्जित अवकाश/भैषजिक अवकाश स्वीकृत किया जाय ।

निर्णय — सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण कुलसचिव के प्रशासकीय अधिकारों के अंतर्गत आता है। पीडित कर्मचारी कुलपति [illegible] को तत्संबंध में अपील कर सकते हैं ।

विषय क्रमांक 5 कर्मचारियों के पारिश्रमिक वृद्धि का आदेश शीघ्र जारी किया जाय ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पांचवे वेतनमान की अधिसूचना में स्पष्टतः अंकित है कि वेतन भत्ता के अलावा अतिरिक्त पारिश्रमिक न दिया जाए (अ) विनियम 108 के भाग 9 की कंडिका 6 के अनुसार वर्तमान में देय पारिश्रमिक दर को स्वीकृत किया गया।

कार्य प्रवृत्ति	पारिश्रमिक दर (रुपये में)
अ.1.समन्वयक	125
सहायक समन्वयक	75
तृतीय श्रेणी कर्मचारी	65
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	45
अ.2. गणक पत्रक लेखन	0.25 रु.प्रति छात्र
गणक पत्रक जाँच	0.15 रु प्रति छात्र
अंकसूची लेखन	0.35 रु.प्रति छात्र
अंकसूची जाँच	0.25 रु.प्रति छात्र
परीक्षा आवेदन पत्र जाँच	0.35 रु. प्रति छात्र
कम्प्यूटर रोल लिस्ट जाँच	0.35 रु.प्रति छात्र
डिग्री लेखन	1.5. रु.दोनो भाषा में
डिग्री जाँच	0.35 रु.प्रत्येक जांचकर्त्ता
नामांकन प्रपत्र जाँच	0.30 रु. प्रति छात्र
परीक्षा शुल्क प्रमाणीकरण लेखन एवं जांच	0.60 रु. प्रति छात्र
अंकसूची हस्ताक्षर	0.10 रु. प्रति अंकसूची
बैंक ड्राफ्ट प्रविष्टि	0.60 रु. प्रति छात्र
बैंक ड्राफ्ट जाँच	0.25 रु. प्रति छात्र
चेक लेखन	0.35 रु. प्रति चेक

1.जो कार्य कार्यविभाजन में दायित्व के रुप में दिया गया है, उस कार्य के लिए पारिश्रमिक न दिया जाए। 2.कार्यालयीन समय में किए गए किस कार्य के लिये पारिश्रमिक न दिया जाय। 3.जिन्हें एक विशेष श्रेणी के अंतर्गत मूल वेतन का सवा छः प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा है उन्हें पारिश्रमिक की पात्रता न दी जाए। 4.दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को किसी प्रकार के पारिश्रमिक की पात्रता नहीं होगी । 5.किसी भी कर्मचारी को एक वित्तीय सत्र में 6000/- पारिश्रमिक की पात्रता होगी। इससे अधिक पारिश्रमिक स्थाई निधि में जमा की जाएगी। 6.कुलपति/कार्यपरिषद को अधिकार होगा कि किसी भी पारिश्रमिक को बंद कर दें।

विषय क्रमांक 6 श्री मो.अकील एवं श्री गयाराम देवांगन के क्रमशः पुत्री/पत्नी की चिकित्सा व्यय का प्रतिपूर्ति किया जाय ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चिकित्सा संबंधी देयक प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी गई ।

विषय क्रमांक 7 90 प्रतिशत पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को त्वरित किया जाय ।

निर्णय पूर्व से ही शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है ।

विषय क्रमांक 8 पात्र कर्मचारियों को क्रमोन्नति प्रदान करने तत्काल बैठक आहूत की जाय ।

निर्णय समिति की बैठक नियमानुसार आहूत किया जाय ।

विषय क्रमांक 9 डा साहू उपकुलसचिव प्रशासन का अन्यत्र विभाग में तत्कांल स्थानान्तरण किया जाय।

निर्णय प्रकरण प्रशासनिक मुद्दा है । स्थानान्तरण प्रकरण कुलपति के विवेक पर निर्भर करता है ।

विषय क्रमांक10 आपराधिक प्रकरणों में लिप्त शिक्षकों की तरह न्यायालयीन प्रकरण चल रहे कर्मियों को भी स्थायीकरण/शेष वेतन/वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति प्रदान की जाय ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायालयीन प्रकरण चल रहे है और यदि वे निलंबित रहे तो उस अवधि का वेतनवृद्धि देय नहीं होगा । उनके सेवा में वहाल होने के पश्चात् वेतन वृद्धि अगली नियत तिथि को देय होगा । उन्हें नए वेतनमान की पात्रता होगी। न्यायालयीन में प्रकरण विचाराधीन होने के दौरान स्थायीकरण/पदोन्नति/क्रमोन्नति की पात्रता नहीं रहेगी। यह न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण पर ही गुण व दोष के आधार पर देय होगा ।

विषय क्रमांक11 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किया जाय।

निर्णय दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता है ।

विषय क्रमांक12 प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को वापस भेजा जाय तथा यह प्रथा समाप्त की जाय।

निर्णय निर्णय लिया गया कि इसका संबंध शासन से है । विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

विषय क्रमांक13 कार्यपरिषद द्वारा क्रीडा समिति में अतिरिक्त परिनियम क्रमांक 02 की कंडिका 01 की उपकंडिका चार के तहत् दो सदस्यों का मनोनयन करना।

निर्णय सर्वसम्मति से क्रीडा समिति में अतिरिक्त परिनियम क्रमांक 02 की कंडिका 01 की उपकंडिका चार के तहत् सूरज अग्रवाल पं.जे.एल.एन.एम. चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर एवं श्री राजेश चौहान, अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाडी, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई को मनोनीत किया गया ।

विषय क्रमांक 14कम्प्यूटर विभाग में पांच व्याख्याताओं को संविदा नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से कम्प्यूटर विभाग में पांच व्याख्याताओं की संविदा नियुक्ति को नियमों के अनुसार लिया जाय एवं नियुक्ति के लिये कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।

विषय क्रमांक 15 पी.जी.डी.आई.टी.पाठ्यक्रम को बायो इन्फार्मोटिक विशेषीकरण विषय के साथ प्रारंभ करने एवं प्रति सेमेस्टर शुल्क रुपये 7500/- से कम कर रु 5000/- करने पर विचार करना। पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम शुल्क रुपये 2500/- से बढ़ाकर रुपये 1000/- प्रति सेमेस्टर करने पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से पी.जी.डी.आई.टी.पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम के लिये प्रति सेमेस्टर शुल्क रुपये 7500/- से कम कर रु 5000/- एवं पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम शुल्क रुपये 2500/- से रुपये 4000/- प्रति सेमेस्टर में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। पी.जी.डी.आई. टी. पाठ्यक्रम बायोइन्फोमेटिक्स विशेषीकरण के साथ समन्वय समिति के निर्णय/अनुमोदन पश्चात् प्रारंभ की जाए।

विषय क्रमांक 16 केम्पस नेटवर्क की स्थापना पर होने वाले व्यय की स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से केम्पस नेटवर्किंग की स्थापना पर होने वाले व्यय की स्वीकृति दी गई । इसकी स्थापना के पश्चात् अलग से इन्टरनेट कनेक्शन पर व्यय न किया जाय ।

विषय क्रमांक17 कम्प्यूटर अध्ययन शाला से एम.एस.सी.आई.टी.विषय के पाठ्यक्रम को सत्र 2003-2004 से संचालित करने की अनुमति प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से कम्प्यूटर अध्ययन शाला से एम.एस.सी.आई.टी.विषय के पाठ्यक्रम को सत्र 2003-2004 से संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

विषय क्रमांक 18 निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर रायपुर कालेज ऑफ जिमालॉजी को सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर रायपुर कालेज ऑफ जिमालॉजी को सम्बद्धता प्रदान की गई ।

विषय क्रमांक 19 बैकलाग पदों हेतु विज्ञापित पदों के संबंध में निर्णय लेना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्न वर्ग लिपिक के पद पर भरती की कार्यवाही न्यायालयीन प्रकरण के कारण स्थगित की जाय । तकनीकी सहायक एवं वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर के विज्ञापित पदों को भी निरस्त किया गया । शेष विज्ञापित पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक 20 श्री एन.एल.शर्मा के पुत्र के इलाज हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने पर विचार करना।

निर्णय श्री एन.एल.शर्मा के पुत्र के इलाज हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु डायरेक्टर मेडिकल ऐजुकेशन (DME) की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी ।

कुलसचिव जी द्वारा कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मीटिंग की समाप्ति की घोषणा की गई ।

कुलपति	कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 1118 /अका/2003 रायपुर, 10.7.2003

प्रतिलिपि-

०१. राज्यपाल के सचिव,राजभवन ,रायपुर ।
०२. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
०३. सचिव,वित्त विभाग,छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
०४. डॉ० एस सराफ, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर ।
०५. डॉ० अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय,राजनांदगांव ।
०६. डॉ० एम.एल. नायक, आचार्य ,बायो-साईन्स अध्ययन शाला पं० र०शु०वि०वि० रायपुर ।
०७. डॉ० ओ.पी. वर्मा आचार्य क्षेत्रीय अध्ययन शाला पं०र०शु०वि०वि. रायपुर ।
08. प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा,रायपुर

09. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग

10. पं.रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर ।

११. डॉ० (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर

१२. डॉ० युगल भारती, प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर ।

१३ डॉ श्रीमती माया अरोरा, प्राचार्य, शा.महाविद्यालय, दुर्ग ।

१४. श्री रामलाल भारद्वाज विधायक (पल्लारी क्षेत्र), बी-४,अयोध्या अपार्टमेंट रायपुर।

१५. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक देशबन्धु रायपुर ।

१६ डा.डी.के.कटारिया, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय,रायपुर ।

17. डा. श्रीमती मित्तल, शा.पंडित जे.एल.एन चिकित्सा महाविद्यालय,रायपुर

१८. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।

१९. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण पं.र.शु.वि.वि. रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कुलसचिव